

12

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं?
 - विधानसभा अध्यक्ष
 - राज्यपाल
 - मुख्य सचिव
 - मुख्यमंत्री
 - निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे?
 - न्यायमूर्ति एन. के. जैन
 - न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद
 - न्यायमूर्ति कांता भटनागर
 - न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन
 - निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है?
 - मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी
 - पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी
 - उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
 - प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति
 - निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं?
 - जस्टिस एन. के. जैन
 - जस्टिस जगत सिंह
 - जस्टिस प्रकाश टाटिया
 - जस्टिस एस. सगीर अहमद
 - राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
 - गंगाराम मूलचंदानी
 - जस्टिस सैय्यद सगीर अहमद
 - नगेन्द्र कुमार जैन
 - प्रकाश टाटिया
- व्याख्या-** राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी है। इन्होंने 26 जून, 2024 से कार्यभार संभाला।
- राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच कर सकता है?
 - स्वप्रेरण से
 - किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर
 - किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर
 - केवल (i)
 - केवल (i) व (iii)
 - केवल (ii) व (iii)
 - सभी विकल्प सही हैं।
 - राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी?
 - मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और गृहमंत्री
 - राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता
 - मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता
 - मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता
 - राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है?
 - 65 वर्ष आयु तक
 - 75 वर्ष आयु तक
 - 70 वर्ष आयु तक
 - 62 वर्ष आयु तक
 - राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ?
 - 1997
 - 1999
 - 2000
 - 1998
- व्याख्या-** राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 (1) के तहत 18 जनवरी, 1999 को किया गया।
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौनसा कथन सत्य नहीं है?
 - आयोग ने मई, 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया।
 - आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं।
 - आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं।
 - जुलाई, 2000 से जुलाई, 2005 तक न्यायाधीश ए.एस. गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे।
- व्याख्या-** राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी, 1999 को किया गया तथा आयोग ने अपना कार्य मार्च, 2000 से प्रारम्भ किया। 16 फरवरी, 2001 से 03 जून, 2004 तक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस. सगीर अहमद थे।
- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
 - मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं।
 - राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे।
 - गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।
 - राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं।
 - राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की?
 - 18 जनवरी, 1999
 - 16 मार्च, 2001
 - 17 जनवरी, 1998
 - 19 फरवरी, 1997
 - राजस्थान में मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं?
 - 4
 - 2
 - 3
 - 5

14. मानवाधिकार संरक्षण (सशोधित) अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं?

- (1) एक अध्यक्ष, 4 सदस्य (2) एक अध्यक्ष, 2 सदस्य
(3) एक अध्यक्ष, 3 सदस्य (4) एक अध्यक्ष, 1 सदस्य (2)

15. निम्नांकित में से कौनसे कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है?

- (i) इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी, 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ।
(ii) यह आयोग मार्च, 2000 से क्रियाशील हुआ।
(iii) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है।
(iv) इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं।

- (1) (i), (ii) व (iv) सही है (2) (ii), (iii), (iv) सही है
(3) (i), (iii) व (iv) सही है (4) सभी सही है। (1)

व्याख्या- मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है।

16. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है?

- (1) मुख्य न्यायाधीश
(2) विधानसभा में विपक्ष का नेता
(3) मुख्यमंत्री (4) विधानसभा अध्यक्ष (1)

17. राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है?

- (1) विधानसभा अध्यक्ष (2) राज्यपाल
(3) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (4) मुख्यमंत्री (4)

18. राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है?

- (i) उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को
(ii) उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को
(iii) उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को
(iv) उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को
(1) (i) व (ii) (2) (ii) व (iii)
(3) (i) व (iii) (4) उक्त सभी (3)

व्याख्या- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष राज्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। 2019 के संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को भी शामिल कर लिया गया है।

19. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है?




- (1) अनुच्छेद 33 (2) अनुच्छेद 35
(3) अनुच्छेद 31 (4) अनुच्छेद 34 (1)

20. निम्नलिखित में से एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है-

- (1) मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जाँच।
(2) राज्य में स्थित जेलों का निरीक्षण।
(3) मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वालोकेन करना।
(4) मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। (4)

व्याख्या- मानव अधिकारों का उल्लंघन करने पर आयोग केवल जाँच कर सकता है, लेकिन दण्ड या सजा नहीं दे सकता।

राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें -



टेलीग्राम से जुड़ने के लिए



@DHINDHWAL2023GK

- Dhindhwal Publication

- धींधवाल पब्लिकेशन

- Dhindhwal Classes

- @Publication-DP

- Dhindhwal Publication

धींधवाल पब्लिकेशन की उपरोक्त पुस्तकें राजस्थान के सभी शहरों में प्रमुख बुक स्टोर पर उपलब्ध है। ऑनलाईन ऑर्डर कर घर बैठे मंगवाने के लिए मोबाईल नंबर 7725969600 (कानाराम जी) पर फोन या वाट्सअप मैसेज करें।